न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारीः देवेन्द्र दीक्षित

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- 543/2026

अशोक कुमार पुत्र लटूर उम्र 22 साल निवासी नन्दपुरा, पुलिस थाना सदर गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।

-प्रार्थी

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, सवाई माधोपुर।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
एफआईआर नं. 118/2026 थाना मलारना डूँगर, सवाईमाधोपुर
अपराध धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा– 4/21 MMDR Act

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या	प्रथम
अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक	05.06.2026

उपस्थितः-

1. श्री जयराज सिंह, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री जितेन्द्र शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश

दिनांकः 09.06.2026

1. प्रार्थी-अभियुक्त अशोक पुत्र लटूर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली जिला सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश दिनांक 06.06.2026 से खारिज करने से व्यथित होकर यह जमानत प्रार्थना पत्र तहत धारा-483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया गया। नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी बनवारी ने वापसी थाना पर एक टाईपशुदा रिपोर्ट पुलिस थाना मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर पर इन तथ्यों के साथ पेश की थी कि दिनांक 05.06.2026 को वह मय जाप्ता मय बोलेरो के समय 11.40 पीएम पर गस्त कस्बा मलारना डूंगर करता हुआ बहतेड पहुंचा जहां पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक जुगाड़ (किसान बुग्गा) जिसमें अवैध बनास बजरी भरी हुई है जो भूखा गांव से मलारना डूँगर की तरफ आ रहा। उक्त सूचना पर वह मय जाप्ता मय बोलेरो के भूखा रोड़ पहुंचा जहां पर एक जुगाड़ आता हुआ दिखाई दिया। जुगाड़ के चालक को मय जाप्ता की मदद से रोककर जुगाड़ को चैक किया तो उसमें अवैध बजरी बनास की भरी हुई थी। जुगाड़ चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अशोक कुमार सैनी पुत्र लटूर सैनी उम्र 22 साल

निवासी नन्दपुरा थाना सदर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर का होना बताया। उक्त आरोपी से रोयल्टी रवन्ना के बारे में पूछा गया तो नहीं होना बताया। उक्त जुगाड़ चालक द्वारा बिना रवन्ना के अवैध बनास की बजरी भरकर ले जाना व रखना व क्रय करना अपराध धारा 303(2) बीएनएस व 4/21 एमएमडीआर एक्ट की नौहियत में आना पाया जाने पर मौके पर ही जुगाड़ को जरिये फर्द जप्ती जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया व उक्त चालक को जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया....इत्यादि।

3. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना मलारना डूँगर, सवाईमाधोपुर पर एफआईआर नं. 118/2026 अपराध अन्तर्गत धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–4/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी दिनांक 05.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अशोक के विरूद्ध वर्तमान प्रकरण के अलावा पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित होना नहीं बताया है।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त एवं विद्वान लोक अभियोजक की जमानत प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप ही बहस करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी दिनांक 05.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भाना है। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाए।

7. विद्वान लोक अभियोजक ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

8. उभयपक्ष को सुनकर तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। अन्वेषण के उपरान्त प्रार्थी के विरूद्ध धारा–303(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा– 4/21 MMDR Act का आरोप प्रमाणित पाया गया है। पत्रावली में संलग्न आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा पूर्व में अन्य कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं होना बताया है। प्रार्थी दिनांक 05.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अनुसंधान एवं अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर विस्तृत टिप्पणी किये बगैर प्रार्थी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त अशोक पुत्र लटूर की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त इस प्रकरण के सम्बन्ध में विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बौंली, सवाई माधोपुर के संतोषप्रद 50,000/-

(पचास हजार) रूपये का मुचलका एवं 25,000/- - 25,000/- (पच्चीस हजार-पच्चीस हजार) रूपये की दो मोतबिर जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर

10. आदेश आज दिनांक 09.06.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस आदेश की प्रति नियमानुसार सम्बन्धित विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जावे।

(देवेन्द्र दीक्षित)
सेशन न्यायाधीश
सवाईमाधोपुर